

मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 सितम्बर, 1992 (भाग 16, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री उदयसिंह पंड्या, प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, ट्रेक्स्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदाय की गई घटिया कीटनाशक के प्रयोग से फसलों को हुई क्षति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री माधव सिंह धुव, सदस्य, रायपुर वन मंडल के अनेक क्षेत्रों में राजस्थान के जानवरों के प्रवेश से जंगलों का विनाश होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सभापति, आश्वासन समिति का सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनूप सिंह मरावी, सदस्य, जिला जबलपुर तहसील कुण्डम के ग्राम मिहगांव के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि आवंटन करने,

(2) श्री तेज सिंह सेधव, सदस्य, जिला देवास, विकासखण्ड बागली के ग्राम आमलाताज में अस्पताल भवन बनाने,

(3) श्री देशराज सिंह, सदस्य, जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के शासकीय महाविद्यालय के भवन की स्वीकृति,

(4) श्री मोहनलाल शिशिर, सदस्य -

(क) जिला सीहोर के विधान सभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत, बकतरा-शाहगंज, शाहगंज-बुधनी, बुधनी-नसरुल्लागंज वहाया रेहटी, नसरुल्लागंज-गोपालपुर, तथा नसरुल्लागंज-नादान वहाया बडकुई रोड की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) जिला सीहोर विकासखण्ड नसरुल्लागंज के अंतर्गत गोपालपुर-पिपलानी, छिन्दगावमोजी-छापरी, सतराना-चकलवी, तथा इटावाकला-निमोटा सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने,

(5) श्री विक्रम सिंह यादव, सदस्य -

(क) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी नगरपालिका पृथ्वीपुर के हाई स्कूल में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,

(ख) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी के अंतर्गत नगरपालिका निवाड़ी के हाईस्कूल में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,

(6) श्री पूरसिंह पवार, सदस्य -

(क) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम माचलपुर में कन्या हाईस्कूल खोलने जाने,

(ख) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर की कालीसिंध नदी, भगौरा रोड पर सप्टा निर्माण कराने,

(ग) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम मांचलपुर में जल संकट को दूर करने के लिए भूतियावे बांध का निर्माण करने,

(घ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम पगारिया डगजीरापुर मार्ग पर कालीसिंध नदी पर सप्टा निर्माण कराने,

- (च) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के जीरापुर नगर में पानी की टंकी का निर्माण,
 (छ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम भंडावद में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने,
 (ज) जिला राजगढ़ विकासखण्ड खिलचीपुर के ग्राम संडावता सोनखेड़ा, ब्राम्हणगांव, जेतपुरा में सड़क निर्माण कराये जाने,
 (झ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड खिलचीपुर के ग्राम बाबड़ी खेड़ा में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(7) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य -

- (क) जिला दुर्ग के साजा अनुविभागीय मुख्यालय में 30 बिस्तर वाले अस्पताल का भवन निर्माण कराने,
 (ख) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम देवकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 (ग) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम भटगांव में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने,
 (घ) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा के शा. महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने,
 (च) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा में कन्या उ.मा. शाला का भवन निर्माण कराये जाने,

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य -

- (क) जिला मुरैना के ग्राम मानपुर तहसील में डाक बंगले की सीमा दीवार बनाने,
 (ख) जिला मुरैना तहसील जीरा के ग्राम महाराजपुर गांव से गुजरने वाली सड़क की ऊंचाई बढ़ाने,
 (ग) जिला मुरैना तहसील जीरा के ग्राम तोर (तिलावली) में श्री मुंशी सिंह पमार के मोहल्ले से भूपसिंह के मोहल्ले तक खडजा निर्माण कराने,
 (घ) जिला मुरैना के ग्राम गलेधापरगना जीरा के मजरा भील के पुरा के तालाब को पक्का कराने,
 (च) जिला मुरैना के ग्राम सांटा-मुंगावली में सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
 (छ) जिला मुरैना के ग्राम बसई (पलपुरा) परगना में खडजा निर्माण कराये जाने,
 (ज) जिला मुरैना के ग्राम मुंगावली के अंदर की सड़क ऊंची कर दोनों ओर नालियां निर्मित कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 18 सन् 1992) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का अननुमोदन करता है।"

1 घन्टा

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992, (क्रमांक 9 सन् 1992) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

8. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार/जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) का अननुमोदन करता है।"

1 घन्टा

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 12 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

10. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 13 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जालम सिंह पटेल/गजराज सिंह सिकरवार/रविन्द्र चौबे/ जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/चौधरी राकेश सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

3 घन्टे

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 14 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

14. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं प्रदाय नीति में परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न विद्युत संकट के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, कु. कल्याणी पाण्डेय, श्री गजराज सिंह सिकरवार, डा. गोविन्द सिंह, श्री रामानंद सिंह, श्री रविन्द्र चौबे, श्री ताराचन्द्र साहू एवं श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्यगण चर्चा उठाएंगे.

भोपाल :
दिनांक : 6 सितम्बर, 1992

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा